प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2019-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए **"प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की कार्यप्रणाली"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।